(घ) क्या सरकार इस नियम में परिवर्तन करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1985-86 से न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता (एमआई) मानदंड शुरू किया था जिसके तहत राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अपने निवल उधारयोग्य संसाधनों का क्रमशः न्यूनतम 25% और 40% अल्पावधिक कृषि ऋण में अंतर्ग्रस्त करना होता है और भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड से मौसमी कृषि परिचालनों के लिए केवल ऐसे ऋणों में उनकी अधिक अंतर्ग्रस्तता की राशि के बराबर ही पुनर्वित्त प्राप्त करना चाहिए। यह मानदंड सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त सहायता पर निर्भरता कम करने और उनमें आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा संसाधन जुटाने की औसत लागत लगभग 11.5% बैठती है और नवम्बर, 1991 से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को दिए गए अल्पावधिक कृषि ऋणों पर उनके द्वारा वसूली योग्य ब्याज की दर 9% है।

(ग) केन्द्रीय सहकारी बैंक, कुल मिलाकर 2.5% की कमी को 3% और 7% के बीच रियायती ब्याज दर पर नाबार्ड/राज्य सहकारी बैंकों से पुनर्वित्त प्राप्त करके पूरा करते हैं, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के नाम बकाया ऋणों की तुलना में उनके द्वारा लिए गए पुनर्वित्त के अनुपात पर निर्भर करता है।

(घ) नाबार्ड ने न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता अनुशासन के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने और उपयुक्त संसाधनों का सुझाव देने के लिए अक्तूबर, 1992 में एक अध्ययन समूह का गठन किया था। अध्ययन समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक की नई-शाखाओं की स्थापना किया जाना

5250. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक देश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों पर नए कार्यालय/शाखाएं स्थापित करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से स्थानों को चुना गया है;

(घ) क्या नए कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि मांगी गई है/अधिगृहित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में किसी भी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों में नए कार्यालय/शाखायें खोलने की इस समय उसकी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) ये सवाल ही नहीं उठते।

नाबार्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर

5251. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993 के पहले और पश्चात नाबार्ड द्वारा दिए गए अल्पकालीन ऋणों के आहरण के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित ब्याज दर क्या है;

(ख) कमजोर सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी समितियों पर ब्याज दर में इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार ब्याज दर में इस परिवर्तन को वापस लेने पर विचार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि अल्पावधिक मौसमी कृषि परिचालन पुनर्वित्त पर राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) से उनके द्वारा प्रभारित ब्याज दर और उसका आधार निम्नलिखित है:

राज्य में सभी डीसीसीबी के संबंध में पीएसी के लिए बकाया औसत एसएओ ऋण के प्रतिशत के रूप में नाबार्ड से एससीबी के औसत उधार	एसएओ के लिए नाबार्ड के पुनर्वित्त पर प्रभारित ब्याज दर
37. से कम	3.0
37 और अधिक परन्तु 40 से कम . . .	3.5
40 और अधिक परन्तु 45 से कम . . .	4.0
45 और अधिक परन्तु 50 से कम . . .	4.5
50 और अधिक परन्तु 58 से कम . . .	5.0
58 और अधिक परन्तु 67 से कम . . .	5.5
67 और अधिक परन्तु 80 से कम . . .	6.0
80 और अधिक	6.5

उपर्युक्त दर संरचना 1 नवम्बर, 1991 से लागू है। अलबत्ता, पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात 1992-93 और 1993-94 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रभारित वास्तविक ब्याज दरें 3 से 5 प्रतिशत के बीच हैं और देश के अधिकांश राज्य सहकारी बैंक न्यूनतम 3 प्रतिशत पर ब्याज प्रभारित कर रहे थे। नाबार्ड द्वारा सूचित किया गया है कि अलग-अलग ब्याज दरों के वर्तमान फार्मूला से सहकारी बैंकों को घाटा नहीं हो रहा है।

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा लागू नीति सदा इस सोच पर आधारित रही है कि रियायती पुनर्वित्त अनुपूरक किस्म का होना चाहिए और सहकारी ऋण संरचना में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक प्रणाली होनी चाहिए। इसके लिए ब्याज दरों की पुनर्वित्त की निर्भरता के प्रत्यक्ष अनुपात में जोड़ा जाना चाहिए।

गुजरात में महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता

5252. **अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "महिला उद्यम निधि योजना" के अंतर्गत गुजरात की महिला उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का जिले-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे नये-छोटे तथा लघु उद्योग एककों को जिनकी परियोजना लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो, उनको कार्यकारी पूंजी प्रदान करने के लिए एक "सिंगल विंडो" योजना आरंभ की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन एककों के लिए कौन से मद आरक्षित किए गए हैं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) लघु उद्योग क्षेत्र में नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों को इक्वटी जैसी सहायता प्रदान करने के लिए महिला उद्यम निधि योजना परिचालित कर रहा है। यह योजना केवल राज्य वित्तीय निगमों और दोहरा कार्य करने वाले औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से परिचालित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सिडबी द्वारा राज्य स्तरीय संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता पुनर्वित्त के रूप में होती है। सिडबी ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों में महिला उद्यम निधि के अंतर्गत गुजरात राज्य वित्तीय निगम से कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सिडबी गुजरात राज्य में इस योजना के अंतर्गत कोई सहायता प्रदान नहीं कर सका। अलबत्ता, सिडबी ने इस योजना के अंतर्गत 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य में 16 एककों को सहायता मंजूर की थी।

(ग) और (घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अपने प्रारंभ से ही एकल खिडकी योजना परिचालित कर रहा है, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को अचल परिसंपत्तियों के लिए संमिश्र सहायता और कार्यशील पूंजी एक ही एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। इस समय, एकल खिड़की योजना के अंतर्गत, कुल 50 लाख रुपए तक के परियोजना परिव्यय वाले लघु उद्योग क्षेत्र के एकक शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्र के नए एककों के अलावा, वर्तमान में अच्छी हालत वाले एककों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन और संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण एककों के पुनरूद्धार के लिए भी सहायता प्रदान की जा सकती है।

(ङ) सिडबी ने सूचित किया है कि इस योजना के अंतर्गत कोई भी मद आरक्षित नहीं की गई है और अति लघु तथा लघु उद्योग क्षेत्र के सभी पात्र एकक एकल खिड़की योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

Pension cases received by the Central Pension Accounting Office, New Delhi

5253. SHRI MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the pension cases received by the Central Pension Accounting Office, New Delhi from different Departments from December, 1994 to February, 1995 in which the payment of pension was to be made through Punajab National Bank in New Delhi areas;

(b) the details of cases disposed of by the said office alongwith the dates of disposal;

(c) the cases still pending and the reasons therefor; and